

इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, गैर-अप्रत्याशित खंड को इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय ध्यान में रखना होगा कि क्या अधिनियम की धारा 94 एक बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में अधिनियम की धारा 34 की प्रयोज्यता को बाहर करती है।

(7) मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि बीमित सहकारी बैंक के मामले में, अधिनियम की धारा 94 में निहित विशेष प्रावधान लागू होंगे, न कि अधिनियम की धारा 34 में।

(8) कानून निर्माताओं ने एक बीमाकृत सहकारी बैंक के विशेष अधिकारों को ध्यान में रखा और इस कारण से एक विशेष प्रावधान बनाया जैसा कि अधिनियम की धारा 94 में निहित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी बीमाधारक के खिलाफ कार्रवाई की जानी है सहकारी बैंक, यदि रिजर्व बैंक को आवश्यकता होगी तो यह कदम उठाया जाएगा। इस मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 94 के तहत रजिस्ट्रार प्रबंध समिति या निदेशक मंडल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है।

(9) इसलिए, अधिनियम की धारा 34 के तहत की गई कार्रवाई क्षेत्राधिकार के बिना है। भले ही उप रजिस्ट्रार ने उल्लेख किया था कि वह अधिनियम की धारा 94 के तहत कार्रवाई कर रहा था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी आवश्यकता के बिना, यह अधिकार क्षेत्र के बिना होता।

(10) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम रिट याचिका और रद्दीकरण आदेश अनुलग्नक पी-6 को लागत के साथ स्वीकार करते हैं, जो रुपये में निर्धारित है 1,000. चूंकि रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाही की शुरुआत क्षेत्राधिकार के बिना की गई थी, इसलिए निलंबन आदेश, अनुबंध पी-1 को भी रद्द कर दिया गया है।

(11) हालांकि, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक हो तो यह आदेश उन्हीं आरोपों पर दोषी निदेशक मंडल के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई करने में रजिस्ट्रार के रास्ते में नहीं आएगा।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्तिगण जे.वी. गुप्ता, ए.सी.जे. एवं एम. एस. लिब्रहान के समक्ष

विक्रम स्टीयरिंग एंड लिंकेज (प्राइवेट) लिमिटेड,

भिवानी, - याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य, -प्रतिवादिगण

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 10433

8 मई, 1990.

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226— राज्य वित्तीय निगम अधिनियम ( 1951 का 63 )—धारा 32जी- धारा 32जी जैसा कि अधिनियम में पेश किया गया है

1989 का केंद्रीय अधिनियम 43 -हरियाणा सार्वजनिक धन ( बकाया की वसूली) अधिनियम 1979- अधिनियम की धारा 3 के तहत बकाया राशि की वसूली, धारा 32जी के तहत नहीं -याचिकाकर्ता ने हरियाणा वित्तीय निगम की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण बीमारी का आरोप लगाया -विवादित प्रश्न उठाने वाली ऐसी याचिका रिट क्षेत्राधिकार में निर्धारित नहीं की जा सकती -बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए तरीका / धारा 3 - अनुचित नहीं - ऐसे प्रावधान उचित रूप से वर्गीकृत हैं और कानून के उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं।

अभिनिर्धारित किया कि जहां वसूली हरियाणा सार्वजनिक धन (बकाया की वसूली) अधिनियम, 1979 के प्रावधान के तहत की जा रही थी और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 32 जी के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उत्तर प्रदेश राज्य ने धारा 3 के तहत प्रावधान किया। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (बकाया राशि की वसूली) अधिनियम, 1965, जो कि हरियाणा

Vikram Steerings and Linkages (Pvt.) Ltd., Bhiwani v. State of  
Harvna and others (M. S. Liberhan, J.)

अधिनियम, 1979 की धारा 3 के प्रावधान के साथ लगभग समान स्तर पर है, बकाया राशि की त्वरित वसूली के लिए एक तरीका है, जिसके अधिकार को लगभग उसी आधार पर चुनौती दी गई थी। ज़मीन अर्थात्. यह उपाय भेदभावपूर्ण है, उच्च न्यायालय ने उद्योग निदेशक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम का पालन किया। यूपी और अन्य बनाम दीप चंद अग्रवाल, एआईआर 1989 एससी 801 ने हरियाणा अधिनियम, 1979 के वसूली प्रावधान को बरकरार रखा।

(पैरा 4 एवं 5)

अभिनिर्धारित किया कि जहां याचिकाकर्ता वित्तीय निगम की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण एक बीमार इकाई बन गया था, इस विवादित प्रश्न को रिट क्षेत्राधिकार में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

- (a) मामले का रिकॉर्ड तलब किया जाए और उसके अवलोकन के बाद भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली में उत्तरदाताओं की विवादित कार्रवाई को रद्द करने के लिए एक सर्टिफिकेट रिट जारी की जाए ;
- (b) भू-राजस्व के बकाया के रूप में याचिकाकर्ता-कंपनी की संपत्ति आदि की कुर्की और बिक्री के माध्यम से राशि वसूलने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाए ;
- (c) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे ;
- (d) याचिकाकर्ता-कंपनी को उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवा से छूट दें;
- (e) याचिकाकर्ता को इस याचिका की पुरस्कार लागत।

आगे प्रार्थना की गई है कि लंबित या रिट याचिका के दौरान , भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली और याचिकाकर्ता-कंपनी के प्रबंध निदेशक (श्री आरके मलिक ) की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.सी. मेहता और अधिवक्ता एस.एन. सैनी ।

प्रतिवादिगण की ओर से अधिवक्ता एन.के. कपूर ।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.एस. लिब्रहान,

याचिकाकर्ता-कंपनी ने भू-राजस्व के बकाया के माध्यम से ऋण राशि की वसूली को चुनौती दी। रुपये का ऋण 27 मार्च, 1984 को 15.65 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, जिसे चौदह अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाना था। याचिकाकर्ता ने परियोजना शुरू की, लेकिन मशीनरी की कीमतों में वृद्धि के कारण यह कठिनाइयों में पड़ गई। याचिकाकर्ता ऋण के पुनर्भुगतान की मांग को पूरा करने में विफल रहा। ऋण राशि की वसूली के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसके अनुपालन में कलेक्टर, भिवानी ने याचिकाकर्ता की औद्योगिक इकाई को कुर्क कर लिया। याचिकाकर्ता ने उक्त वसूली को एक सिविल मुकदमे में चुनौती दी और उत्तरदाताओं को राशि वसूलने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी, जिस आदेश की अपील में पुष्टि की गई थी। हालांकि, यह बताया गया कि मुकदमा वापस लिया जा रहा है क्योंकि प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि सिविल कोर्ट के पास मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ऋण चुकाने में विफलता को हरियाणा वित्तीय निगम की उदासीनता और निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और कहा गया था कि वित्तीय निगम के रवैये के कारण इकाई एक बीमार इकाई बन गई थी।

(2) याचिकाकर्ता ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 32-जी को चुनौती दी। यह अग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता को सुने बिना ही वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था और अगर मौका दिया जाता तो याचिकाकर्ता निगम को इतना कठोर तरीका न अपनाने के लिए संतुष्ट कर देता। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अन्य प्रावधानों का संदर्भ बनाया था।

अधिनियम की धारा 32-जी के लिए मुख्य चुनौती यह है कि अधिकारी औद्योगिक चिंता को सुनवाई या नोटिस का अवसर प्रदान किए बिना धारा 32-जी के तहत कलेक्टर को भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए एक प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। 1989 के केंद्रीय अधिनियम 43 द्वारा अधिनियम में प्रावधित धारा 32-जी इस प्रकार है: -

“32-जी. भू-राजस्व के बकाया के रूप में वित्तीय निगम को देय राशि की वसूली - जबकि कोई भी राशि वित्तीय निगम को उसके द्वारा किसी औद्योगिक संस्था, वित्तीय निगम या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति को दिए गए किसी समायोजन के संबंध में देय है। इस संबंध में, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार को देय राशि की वसूली के लिए आवेदन कर सकता है। और यदि राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकरण, जैसा कि वह सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संतुष्ट है कि कोई राशि बकाया है, तो वह कलेक्टर को उस राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, और कलेक्टर, उस राशि को भू-राजस्व के बकाया के समान ही वसूल करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(3) फिट याचिका 16 अगस्त 1989 को दायर की गई थी और वसूली पर रोक लगा दी गई थी। मामले को निपटाने के लिए याचिकाकर्ता को कई मौके दिए गए। अंततः, 5 फरवरी, 1990 को याचिकाकर्ता के वकील ने भुगतान की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय निगम से संपर्क करने के लिए समय चाहा। यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि 3 मार्च 1990 तक कोई व्यवस्था नहीं की गई तो वसूली पर लगी रोक समाप्त हो जायेगी। इसके बावजूद, एक और अवसर दिया गया लेकिन कुछ खास नहीं हुआ।

(4) प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई दलील का खंडन किया और तर्क दिया कि वसूली हरियाणा सार्वजनिक धन (बकाया वसूली) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत की जा रही थी और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 32-जी के तहत लिया जा रहा है। यूपी राज्य यूपी सार्वजनिक धन (बकाया राशि की वसूली) अधिनियम, 1965 (1965 का 25) की धारा 3 के तहत प्रावधान करता है, जो कि हरियाणा सार्वजनिक धन (बकाया राशि की वसूली) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के प्रावधानों के लगभग बराबर है। बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए एक तरीका, जिसके अधिकार को लगभग उसी आधार पर चुनौती दी गई थी, अर्थात्, यह उपाय भेदभावपूर्ण है।

निदेशक, इंडस्ट्रीज, यू.पी. व अन्य बनाम दीप चंद अयुर्तुल, में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप्स ने प्रावधानों को बरकरार रखते हुए करते हुए निम्न अभिनिर्धारित किया:

"यह अधिनियम राज्य सरकार को उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली के लिए त्वरित उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। राज्य सरकार ऋण जारी करते समय एक सामान्य उपाय के रूप में कार्य नहीं करती है। ब्याज अर्जित करना आम तौर पर यह राज्य में उद्योग स्थापित करने या कृषि, पशुपालन जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए लोगों की सहायता करने के लिए ऋण प्रदान करता है और लोगों की आर्थिक भलाई को आगे बढ़ाता है। पैसा आगे बढ़ाया गया राज्य सरकार को शीघ्रता से वसूली करनी होगी ताकि राज्य सरकार को अधिक से अधिक अग्रिम भुगतान किया जा सके। इसका उद्देश्य सिविल न्यायालयों में मुकदमों के निपटान में होने वाली सामान्य देरी से बचना और एक व्ययपूर्ण उपाय प्रदान करना है। अधिनियम अधिनियमित किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून द्वारा किए गए वर्गीकरण के लिए कोई उचित आधार नहीं है और वर्गीकरण का कानून के उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम में दिशानिर्देशों वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हालाँकि, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अधिनियम की धारा 3 राज्य सरकार को मनमानी शक्ति प्रदान करती है और शत्रुतापूर्ण भेदभाव करती है। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एक अधिकारी से

Hardwari Lai v. Union of India and others (M. S. Liberhan. J.)

आमतौर पर कानून के तहत प्रदान किए गए त्वरित उपचार का लाभ उठाने की अपेक्षा की जाती है। त्वरित उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित अधिनियम स्वयं संबंधित अधिकारी को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है कि उसे इसके द्वारा प्रदान किए गए उपचार का सहारा कब लेना चाहिए।

(6) फिर, यह प्रस्तुत किया गया कि वित्तीय निगम की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि याचिकाकर्ता एक बीमार इकाई बन गया है। हमें डर है, इस विवादित प्रश्न का निर्णय रिट क्षेत्राधिकार में नहीं किया जा सकता।

(1) एआईआर 1989 एस.सी. 801

(7) रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य वित्तीय निगम द्वारा राशि की वसूली में हस्तक्षेप करने का कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(8) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरुग्राम, हरियाणा

**आरजेयूटी.**

न्यायमूर्तिगण जे. वि. गुप्ता, ए.सी.जे. और एम. एस. लिब्रहान के समक्ष

हरद्वारी लाल, अपीलकर्ता,

बनाम

भारत संघ व अन्य- प्रतिवादीगण

1984 का एलपीए नंबर 743

10 मई, 1990.

भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959—एस.एस. 29, 32 और 63- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979- रेगुलेशन 2(इ) और 3(इ) और 20- इस्तीफा-वापस लेना-प्रबंध निदेशक, इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी- एमडी छुट्टी पर हैं-महाप्रबंधक एमडी की अनुपस्थिति के दौरान इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं - जीएम के पास केवल वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां निहित हैं प्रबंध निदेशक अपनी अनुपस्थिति में - ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जीएम इस्तीफा स्वीकार करते हैं - कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृति की पुष्टि की जाती है और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के अध्यक्ष द्वारा - निदेशक मंडल के प्रतिनिधि के रूप में प्रबंध निदेशक अपनी शक्ति को आगे उप-प्रतिनियुक्त नहीं कर सकते हैं - अस्थायी रूप से सहायक बैंक के एमडी की अनुपस्थिति केवल भारतीय स्टेट बैंक के पास धारा 32 के तहत किसी अन्य व्यक्ति को एमडी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति है - जीएम इस्तीफा स्वीकार करने में सक्षम नहीं है - कर्मचारी सेवा में बना रहता है - जीएम द्वारा जीएम के आदेश के अनुसमर्थन का प्रभाव कार्यकारी समिति और बोर्ड - ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुसमर्थन जिसके पास कार्य करने की कोई शक्ति नहीं है, आदेश को नहीं बचा सकता है - इस्तीफा स्वीकार करने की शक्ति केवल प्रशासनिक शक्ति नहीं है - इस्तीफा स्वीकार करना सेवा की एक शर्त है - जीएम को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।

अभिनिर्धारित किया कि भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 या स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 या निदेशक मंडल के किसी भी संकल्प के तहत प्रबंध निदेशक को आगे बढ़ने के लिए अधिकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। निदेशक मंडल द्वारा उसे प्रदत्त अपनी शक्तियाँ सौंपना।

(पैरा 18 )